राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड

संख्या–[illegible]/IV–01/रा0प0/2020–21
देहरादून; दिनांकः [illegible] अगस्त, 2020

:: कार्यालय आदेश ::

प्रदेश में स्वामित्व योजना लागू करने हेतु शासनादेश संख्याः–379/XVIII(3)/2020–03(04)/2020, दिनांक 20 जुलाई 2020 द्वारा प्रदत्त अनुमति के कम में भारत सरकार द्वारा लागू "स्वामित्व योजना" अन्तर्गत चयनित राजस्व ग्रामों के आबादी वाले क्षेत्रों का सर्वे एवं उन्नत तकनीक के साथ ग्रामों की मैपिंग हेतु नवीनतम ड्रोन आधारित प्रौद्योगिकी के माध्यम से सर्वेक्षण कियायें सम्पादित किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1901, की धारा–234(1)(क) में निहित प्राविधानानुसार प्रदेश में सर्वेक्षण इकाई वाले जनपदों से इतर अन्य सम्बन्धित जनपद व तहसील के सर्वे नायब तहसीलदार, सर्वे कानूनगो एवं सर्वे लेखपाल के कृत्यों एवं अधिकारों का निर्वहन एवं पालन करने हेतु शक्तियों का हस्तान्तरण (पदेन रूप में) सम्बन्धित जनपद व तहसील के कमशः तहसीलदार/नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक एवं राजस्व उप निरीक्षक को किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अतः उपरोक्तानुसार अभिलेख अधिकारी द्वारा "स्वामित्व योजना" अन्तर्गत चयनित राजस्व ग्रामों के आबादी वाले क्षेत्रों का सर्वे एवं उन्नत तकनीक के साथ ग्रामों की मैपिंग हेतु नवीनतम ड्रोन आधारित प्रौद्योगिकी के माध्यम से सर्वेक्षण कियायें सम्पादित किये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

दिनांकः–30–07–2020

ओम प्रकाश
अध्यक्ष

संख्या– /IV–01/रा0प0/2020–21, दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को मय संलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उत्तराखण्ड शासन, राजस्व/पंचायती राज विभाग, देहरादून।
2. आयुक्त एवं सचिव/राज्य नोडल अधिकारी (स्वामित्व योजना), राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूॅ, पौड़ी/नैनीताल।
4. निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी/अभिलेख अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिला पंचायती राज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. कार्यालय प्रति/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बी0एम0 मिश्र)
आयुक्त एवं सचिव

संख्या: 379/XVIII(3)/2020-03(04)/2020

प्रेषक,

सुशील कुमार,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद्,
उत्तराखण्ड, देहरादून

राजस्व अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांक 20 जुलाई, 2020

विषयः– प्रदेश में 'स्वामित्व योजना' लागू करने हेतु ग्रामों का सर्वे एवं उन्नत तकनीकी के साथ ग्रामों में मैपिंग हेतु नवीनतम ड्रोन आधारित प्रौद्योगिकी के उपयोग के फलस्वरुप राजस्व अधिकारियों/कार्मिकों के दायित्व निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या 6018/बार 01/[illegible]/2020–21, दिनांक 15 जून, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश में 'स्वामित्व योजना' लागू करने हेतु ग्रामों का सर्वे एवं उन्नत तकनीकी के साथ ग्रामों में मैपिंग हेतु नवीनतम ड्रोन आधारित प्रौद्योगिकी के उपयोग किये जाने हेतु प्रदेश में सर्वेक्षण इकाई वाले जनपदों से इतर अन्य जनपदों के राजस्व अधिकारियों/कार्मिकों से सर्वेक्षण कार्य करवाये जाने हेतु उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 49 तथा धारा 234(क) में दिये गये प्राविधानान्तर्गत सर्वेक्षण अधिकारियों के कृत्यों के निर्वहन एवं पालन करने हेतु राजस्व अधिकारियों को उनकी शक्तियों के हस्तान्तरण का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "स्वामित्व" योजना के अन्तर्गत प्रदेश के चयनित राजस्व ग्रामों के आबादी क्षेत्रों का सर्वे एवं उन्नत तकनीकी के साथ ग्रामों में मैपिंग हेतु नवीनतम ड्रोन आधारित प्रौद्योगिकी के उपयोग किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 234(1) की उपधारा (क) में निहित प्राविधानानुसार प्रदेश में सर्वेक्षण इकाई वाले जनपदों से इतर अन्य सम्बन्धित जनपद व तहसील के **सर्वे नायब तहसीलदार, सर्वे कानूनगो एवं सर्वे लेखपाल** के कृत्यों एवं अधिकारों का निर्वहन एवं पालन करने हेतु शक्तियों का हस्तान्तरण क्रमशः **तहसीलदार/नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक एवं राजस्व उप निरीक्षक** को किये जाने सम्बन्धी आदेश निर्गत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
सचिव (प्रभारी)